न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 09/2018

अपीलांट

1. हरीराम पुत्र श्री पोकराजी
2. बालाराम पुत्र श्री पोकराजी जातियान विश्नोई, निवासीगण पांच कुआ, भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. गंगाराम पुत्र पोकराजी
2. किशनाराम पुत्र पोकराजी जातियान विश्नोई, निवासीगण पांच कुआ, भीनमाल तहसील भीनमाल, जिला जालोर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार भीनमाल भूमिधारी
4. तहसीलदार रानीवाडा

उपस्थित :–

1. श्री राजूराम विश्नोई विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 04 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 13.05.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 02/2008 बउनवान बालाराम वगैरह बनाम गंगाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया तथा उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 के तहत सन 2008 में विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया कि तहसील भीनमाल के गांव भीनमाल बी तथा तहसील रानीवाडा के गांव करडा व डी गांव में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थिति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 सगे भाई है। वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2013 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एंव रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी का आपसी सहमति व राजीनामे से अपने कब्जे अनुसार बंटवाडा किया जाता है। तो इससे रेस्पोडेन्टगण को कोई आपत्ति नही है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 के तहत सन 2008 में विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया कि तहसील भीनमाल के गांव भीनमाल बी तथा तहसील रानीवाडा के गांव करडा व डी गांव में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थिति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 सगे भाई है।वादग्रस्त आराजी संयुक्त रूप से खातेदारी में चली आ रही है। तथा मौके पर अपनी सहमति से भौतिक रूप से बंटवाडा दिनांक 27.06.2006 को पारिवारिक बंटवाडा कर भूमि का विभाजन कर लिया तथा एक भाई दूसरे भाई के हक में सहमति से विभाजन कर लिया है। अत राजस्व रेकर्ड में बाई मीट्स एंड बाउन्डस के तहत बंटवाडा खातेदारी हकूको व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे हाजा न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2013 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय की पालना में वाद की प्रति व राजीनामे व पारिवारिक बंटवाडा वास्ते विभाजन किये जाने हेतु सहायक कलक्टर रानीवाडा को भिजवाये गये। जिस पर सहायक कलक्टर रानीवाडा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2017/263 दिनांक 23.02.2017 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 उपधारा 5 व 13 का उल्लेख करते हुए संयुक्त खातेदारो की सभी भूमियों को एक ही वाद के जरिये निर्णीत किये जाने का अवगत कराते हुए दस्तावेज पुनः सहायक कलक्टर भीनमाल को भिजवाये गये। जिससे यह स्पष्ट है कि दो क्षेत्रो की संयुक्त खातेदारो की भूमियो को एक ही वाद के जरिये निर्णीत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी नही होने के संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। ऐसी स्थिति में कानूनन खातेदारी हक एवं विभाजन माफिक राजीनामा एवं बंटवाडा नहीं किया जा सकता है। का हवाला देते हुए अपीलांट का वाद खारिज किया गया है किन्तु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत बंटवाडा कराने हेतु आराजी पुश्तैनी हो, इस संबध में कोई विशिष्ट अंकन नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नही होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 02/2008 बउनवान बालाराम वगैरह बनाम गंगाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण सहायक कलक्टर भीनमाल को निर्देशित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संयुक्त रूप से खातेदारी में चली आ रही है। तथा मौके पर अपनी सहमति से भौतिक रूप से बंटवाडा दिनांक 27.06.2006 को पारिवारिक बंटवाडा कर भूमि का विभाजन कर लिया तथा एक भाई दूसरे भाई के हक में सहमति से विभाजन कर लिया है। अत राजस्व रेकर्ड में बाई मीट्स एंड बाउन्डस के तहत बंटवाडा खातेदारी हकूको व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे हाजा न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.10.2013 को अपास्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः जैर अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 21.12.2017 द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में वादग्रस्त अराजी संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज होने का उल्लेख है एवं सहखातेदार अपनी आराजी का विभाजन करवाने के कानूनन हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार भीनमाल द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो गांव मौजा भीनमाल बी के खसरा नंबर 2982 से 2988, 2906 से 2909 व खसरा नंबर 3025 का कुल क्षेत्रफल 19.93 हैक्टर का अलग अलग रकबा किश्त व लगान तथा खातेदार के बंट अनुसार किया जाना था। एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी खातेदार, पक्षकार की कोई आपत्ति उजरात नही था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद बाबत खातेदारी हक बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के पेरा संख्या 3 (1), (2) (3) के सब क्लाज (1), (2) (3) व (4) अर्थात वादीगण बालाराम, हरिराम एवं प्रतिवादीगण गंगाराम, किशनाराम सभी चारो भाईयो का दावे में हिस्सा खुला हुआ हैं उसी अनुरूप मौके पर काबिज है। उक्त सम्पूर्ण व खरीदशुदा आराजी को अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण द्वारा आपसी सहमति व रजामंदी से पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 27.06.2006 एक दूसरे के हक में निष्पादित करने से पहले ही विभाजन कर दिया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो का ध्यान में न रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 के तहत सन 2008 में विरूद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर निवेदन किया कि तहसील भीनमाल के गांव भीनमाल बी तथा तहसील रानीवाडा के गांव करडा व डी गांव में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि स्थिति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 सगे भाई है।वादग्रस्त आराजी संयुक्त रूप से खातेदारी में चली आ रही है। तथा मौके पर अपनी सहमति से भौतिक रूप से बंटवाडा दिनांक 27.06.2006 को पारिवारिक बंटवाडा कर भूमि का विभाजन कर लिया तथा एक भाई दूसरे भाई के हक में सहमति से विभाजन कर लिया है। अत राजस्व रेकर्ड में बाई मीट्स एंड बाउन्डस के तहत बंटवाडा खातेदारी हकूको व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे हाजा न्यायालय द्वारा स्वीकार

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-बालोतरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाता है कि पूर्व में मौजा भीनमाल की वादग्रस्त आराजी के संबध में पूर्व में जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतिम निर्णय व डिक्री पारित करे। एवं मौजा रानीवाडा की वादग्रस्त आराजी के संबध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 उपधारा 5 व 13 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली